



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26022026-270504
CG-DL-E-26022026-270504

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 976]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 25, 2026/फाल्गुन 6, 1947

No. 976]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 25, 2026/PHALGUNA 6, 1947

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2026

का.आ. 1020(अ).—भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद (पशु-चिकित्सा महाविद्यालयों और पशु चिकित्सा अर्हताओं की मान्यता तथा मान्यता वापस की प्रक्रिया) नियम, 2017 के नियम 10 के उप-नियम (5) के साथ पठित, भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 (1984 की सं. 52) की धारा 15 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद से परामर्श करके, उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 की पहली अनुसूची में, उप-शीर्षक "डिग्री" के अंतर्गत, क्रमांक 94 के पश्चात और तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएँगी, अर्थात्:-

विश्वविद्यालय या पशु चिकित्सा संस्थान	मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा अर्हता	पंजीकरण के लिए संक्षिप्ताक्षर(abbreviation)
(1)	(2)	(3)
95. श्रीगंगानगर पशुचिकित्सा महाविद्यालय, श्रीगंगानगर, राजस्थान में तांतिया विश्वविद्यालय	पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन स्नातक	BVSC और AH "यह अर्हता केवल दिनांक 15 दिसंबर, 2027 को या उसके बाद अनुदत्त किए जाने पर ही

		मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा अर्हता मानी जाएगी।
--	--	---

[फा. सं. K-12052-9/3/2019-LH]

आर एस सिन्हा, अपर सचिव

नोट.- भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 की पहली अनुसूची में अंतिम संशोधन दिनांक 20 नवंबर, 2025 की अधिसूचना संख्या का.आ.5313(अ), के माध्यम से किया गया था और दिनांक 20 नवंबर, 2025 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड(ii) में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd February, 2026

S.O. 1020(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 15 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984), read with sub-rule (5) of rule 10 of the Veterinary Council of India (Procedure for recognition and de-recognition of Veterinary Colleges and Veterinary Qualifications) Rules, 2017, the Central Government, after consulting the Veterinary Council of India, hereby makes the following further amendment in the First Schedule to the said Act, namely: –

In the First Schedule to the Indian Veterinary Council Act, 1984, under sub-heading “DEGREES”, after serial number 94 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

University or Veterinary Institution	Recognised Veterinary Qualification	Abbreviation for registration
(1)	(2)	(3)
95 Tanta University in respect of Sri Ganganagar Veterinary College, Sri Ganganagar, Rajasthan	Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry	“B.V.Sc. and A.H. This qualification shall be a recognized Veterinary qualification only when granted on or after the 15 th December, 2027.”.

[F. No. K-12052-9/17/2019-LH]

R S SINHA, Addl. Secy.

Note- The First Schedule to the Indian Veterinary Council Act, 1984 was lastly amended *vide* notification number S.O. 5313(E), dated the 20th November, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (ii) dated 20th November, 2025